राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः 111 / 2022
आर.सी.एम.एस. नं.:– 2022 / 101

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– कविता गोदारा, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः 111 / 2022
आर.सी.एम.एस. नं.:– 2022 / 101

1. बुधाराम पुत्र जवाहरराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम गेरसर तहसील व जिला बीकानेर
2. रेवंतराम पुत्र जवाहरराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम गेरसर तहसील व जिला बीकानेर।

प्रार्थी

बनाम

1. रेवंतनाथ पुत्र नरसानाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम बम्बलू तहसील व जिला बीकानेर।
2. रामप्रताप नाथ पुत्र गंगाराम जाति नाथ निवासी ग्राम बम्बलू तहसील व जिला बीकानेर।
3. गोपालराम पुत्र जोराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम गेरसर तहसील व जिला बीकानेर।
4. अक्खाराम पुत्र जोगीराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम गेरसर तहसील व जिला बीकानेर।
5. चोरूराम पुत्र भीखाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम गेरसर तहसील व जिला बीकानेर।
6. भजनाराम पुत्र सांवरराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बम्बलू तहसील व जिला बीकानेर।
7. थानाधिकारी, पुलिस थाना बीछवाल, बीकानेर।

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी बीकानेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषकः

1. श्री प्रेम प्रकाश मदान्, प्रार्थीगण के लिए।
2. श्री बहादुरराम सुथार, अप्रार्थी संख्या 1,2 के लिए।
3. अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 के विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय।
4. अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की ओर से पेरोकार राज उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः 111/2022
आर.सी.एम.एस. नं.:– 2022/101

निर्णय

दिनांक 10/06/24

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक श्री प्रेम प्रकाश मदान द्वारा उक्त अनवानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके ग्राम नगासर तहसील व जिला बीकानेर के खसरा नंबर 144/3 रकबा 3.42 हैक्टर, ख.नं. 143/2 रकबा 9.59 हैक्टर कुल रकबा 13.11 हैक्टर है। पटवार हल्का कतरियासर पड़ौसी किसान रेवंतनाथ पुत्र नरसानाथ, रामप्रताप पुत्र गंगाराम निवासी बम्बलू खसरा नंबर 144/3 में पटवार हल्का कतरियासर के उक्त काश्तकार काबिज है। पूर्व में उक्त खसरों का तहसीलदार बीकानेर के आदेशानुसार संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27.07.2021 को सीमाज्ञान किया जा चुका है उसके बावजूद भी खसरा नंबर 144/3 का उपरोक्त पड़ौसी किसान आये दिन विवाद करते रहते है जिससे रोजाना झगड़ा–फसाद होता रहता है इसलिए प्रार्थी कृषि भूमि की पत्थरगड्डी पूरी टीम व पुलिस थाना बीछवाल की मौजुदगी में करवायी जावे क्योंकि बम्बलू ग्राम के पड़ौसी किसान झगड़ालू प्रवृति है जो आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा करते रहते है। उक्त पड़ौसी लड़ाई–झगड़ा करते है जिसमें खून–खराबा होने की पूरी संभावना है इसलिए पुलिस की मौजुदगी में पत्थरगड्डी करवाई जावें। प्रार्थीगण अनुसूचित जाति व कमजोर तबके के किसान है जिन का मूल कार्य खेती–बाड़ी करना है जबकि पड़ौसी किसान सिद्ध जाति के है व झगड़ालू प्रवृति के है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि का खसरा नंबर 143/2 व 143/3 है उक्त दोनों खसरों की सीमा को लेकर अप्रार्थीगण झगड़ा करने पर उतारू है इसलिए कृषि भूमि की सीमांकन के अनुसार पत्थरगड्डी करवाये जाने के आदेश तहसीलदार बीकानेर व पुलिस थाना बीछवाल से करवाये जाने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तरफ से उनके अधिवक्ता बहादुरराम सुथार द्वारा जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी बुधाराम वगै0 ने जिस भूमि का पत्थर गड्डी का प्रार्थना पत्र पेश किया था। इससे पूर्व अप्रार्थीगण द्वारा एक वाद माननीय न्यायालय में

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

इसी भूमि के संबंध में दिनांक 31.08.2021 को पेश कर दिया था। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर.एक्ट पेश करने के साथ एक दावा धारा 88, 188 पेश किया। उक्त दावे में माननीय न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की। उपरांत 2 साल बाद वर्ष 2023 में बुधाराम वगै0 द्वारा विड्रा कर लिया गया। इस प्रकार एक ही भूमि के बाबत तीन प्रकरण माननीय न्यायालय में दर्ज हुए। जिसमें तीनों पत्रावलीया एकजाय होनी थी। जिससे न्याय निर्णय में सुलुभता रहती। व अलग अलग निर्णय एक ही भूमि बाबत पारित न हो। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को थी। प्रार्थीगण ने प्रस्तुत दावा विड्रो कर माननीय न्यायालय को अंधेरे में रखकर दावें से हटकर येन केन प्रकरेण अलग से प्रार्थना पत्र का निस्तारण करवाना चाहते है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। तथा एक ही भूमि के संबंध में चल रहें दावों को एकजाय किया जावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना–पत्र सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक ने बहस में प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि का खसरा नंबर 143/2 व 143/3 है उक्त दोनों खसरों की सीमा को लेकर अप्रार्थीगण झगड़ा करने पर उतारू है इसलिए कृषि भूमि की सीमांकन के अनुसार पत्थरगड्डी करवाये जाने के आदेश तहसीलदार बीकानेर व पुलिस थाना बीछवाल से करवाये जाने की कृपा करें।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में जवाब प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावला का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्यों अनुसार प्रार्थीगण की कृषि भूमि का खसरा नंबर 143/2 व 143/3 तादादी 13.11 हैक्टर के सीमांकन के अनुसार पत्थरगड्डी करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से विरोध प्रकट करते हुए प्रस्तुत कथनानुसार प्रार्थना–पत्र के तथ्यों पर कोई सार्थक तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः 111 / 2022

आर.सी.एम.एस. नं.:– 2022 / 101

द्वारा प्रार्थीगण ने प्रस्तुत दावा विड्रो कर माननीय न्यायालय को अंधेरे में रखकर दावें से हटकर येन केन प्रकरेण अलग से प्रार्थना पत्र का निस्तारण कराये जाने का तथ्य प्रस्तुत किया गया है तथा अन्य जवाब के तथ्यों के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, ना ही उक्त तथ्यों के समर्थन में जवाब प्रार्थना–पत्र के हमराह शपथ–पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के सीमांकन एवं पथरगड्डी का अनुतोष चाहा गया है, जो न्यायानुमत प्रतीत होता है तथा सीमाकंन उपरांत पड़ोसी खातेदारों से सीमा संबंधी विवाद की रोकथाम होगी। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी काबिले स्वीकार प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम नगासर तहसील व जिला बीकानेर के खसरा नंबर 144 / 3 रकबा 3.42 हैक्टर, ख.नं. 143 / 2 रकबा 9.59 हैक्टर कुल रकबा 13.11 हैक्टर के सीमांकन अनुसार पथरगड्डी किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की पालनार्थ तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर तथा थानाधिकारी, पुलिस थाना बीछवाल को प्रेषित की जावे। खर्चा प्रार्थीगण स्वयं वहन करें। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 10/06/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कविता गोदारा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर